

I/113179/2023

प्रेषक,

गरिमा रौकली

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा विभाग,

उत्तराखण्ड देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-6

देहरादून 10 अप्रैल, 2023

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि एवं नये पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागाध्यक्ष/ निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20.02.2023 में प्राप्त संस्तुतियों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरुराम राय पैरामेडिकल कॉलेज, श्यामलाल बगीचा, (श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय) कोटद्वार को नवीन पाठ्यक्रम को बी0एम0एल0टी0-30सीट (नवीन पाठ्यक्रम)बी0एम0आर0आई0टी0-30सीट (नवीन पाठ्यक्रम) बी0पी0टी0-30सीट(नवीन पाठ्यक्रम)बी0एससी0 एम0एम0-30सीट(नवीनपाठ्यक्रम)बी0एससी0 ऑप्टोमेट्री-30 सीट (नवीन पाठ्यक्रम) के साथ प्रारम्भ किये जाने की अनापत्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एतद्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आदेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र पैरामेडिकल संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त उत्तराखण्ड परा- चिकित्सा परिषद से मान्यता लेने की समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। मान्यता हेतु आवेदन के समय निरीक्षण के दौरान यदि संस्थान में कतिपय/ आंशिक कमिया पायी जाती हैं, तो निर्धारित मानकों के आंलोक में कमियों का निराकरण करा लिये जाने के पश्चात ही उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद एवं हे0न0ग0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति/मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाए।
2. संस्थानों को जिन पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रदान की जा रही है, यदि संस्थान के द्वारा उन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिये जाने हेतु शासन स्तर से पुनः अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।
3. पैरामेडिकल संस्थान द्वारा बिना पाठ्यक्रमों के संचालन की अनापत्ति प्राप्त किये एवं बिना विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये छात्र/छात्राओं को पूर्व प्रवेश दिया जाना असंवैधानिक है। ऐसे संस्थानों पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र के दौरान कभी भी, जैसा कि यथासमय उचित समझे पैरामेडिकल संस्थान का निरीक्षण करायेंगी। यदि निरीक्षण में कमिया पायी जाती है, तो संस्तुति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर विचार करेगी।
5. जिस संस्थान के पास स्वयं का चिकित्सालय है, अपने द्वारा संचालित संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी संस्थान को क्लीनिकल मैटिरियल, अपने टीचिंग चिकित्सालयों की शै्याये आदि की सम्बद्धता नहीं देंगे, जिससे कि इस संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं को समुचित प्रैक्टिकल करने की सुविधा मिले तथा व्यवसायिक वातावरण बना रहे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश एवं पूर्व निर्धारित नियमों का पालन किये जाने की



- बाध्यता होगी।
7. सस्थान उत्तनी ही सीटों पर प्रवेश दे सकेंगे जितनी सीटों के संचालन की अनापत्ति प्रदान की जा रही है।
 8. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर संबंधितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
 9. अनापत्ति विस्तारीकरण की कार्यवाही यथासमय नियमतः पूर्ण कर ली जाए।
 10. जिन संस्थानों के पास स्वयं का भवन/चिकित्सालय नहीं है, उन्हें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो साल के अन्दर स्वयं का भवन/चिकित्सालय अनिवार्य रूप से बनाना होगा।
 11. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by Garima Ronkali

Date: 10-04-2023 11:01:12

(गरिमा रौकली)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कुल सचिव, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा- चिकित्सा शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी, देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड स्टेट डेन्टिस्ट ट्रिब्यूनल, देहरादून।
8. प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, संबंधित पैरामेडिकल संस्थान।
9. गाई फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Richa

Date: 10-04-2023 11:46:54

(ऋचा)

अनु सचिव।



(Handwritten signature in green ink)

1/172085/2023

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-06
संख्या-229/XXVIII(6)/2023
देहरादून दिनांक-30 नवम्बर, 2023

संशोधन

शासन द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि एवं नये पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में निर्गत शासनदेश संख्या:-1/113179/2023 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के बिन्दु संख्या 01 में आंशिक संशोधन करते हुए " आदेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र पैरामेडिकल संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद् से मान्यता लेने की समयबद्ध कार्यवाही की जाएगी। मान्यता हेतु आवेदन के समय निरीक्षण के दौरान यदि संस्थान में कतिपय/ आंशिक कमियां पायी जाती है, तो निर्धारित मानकों के आलोक में कमियों का निराकरण करा लिए जाने के पश्चात ही उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् एवं संबंधित विश्वविद्यालय (प्रश्नगत प्रकरण में श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय) द्वारा अनापत्ति/मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाए" पढा जाए।

उल्लिखित अनिवार्यता प्रमाण पत्र की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by Arvind Singh
Pangley

अरविन्द सिंह पांगती

संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-229/XXVIII(6)/2023-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उक्तानुसार सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, चन्द्रनगर, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार, हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद्, देहरादून।
- 5.
6. प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, संबंधित संस्थान।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

